



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख भूस्थानिक निदेशालय
JAMMU & KASHMIR AND LADAKH G.D.
गोल्फ कोर्स रोड नगरोटा जम्मू 181221
GOLF COURSE ROAD, NAGROTA, JAMMU-181221

फैक्स दूरभाष FAX TELEPHONE: 0191-2674991, 2674881, 2673062
ईमेल E-Mail: jk.gdc.soi@gov.in



सं० 1448/37-जी-9

दिनांक 03-07-2025

नेमी आदेश सं० 09 /37-G-9 दिनांक 03-07-2025

PROMOTION

The following Upper Divisional Clerk has been promoted under Review DPC-2016 to the post of Assistant, Group 'B' (Non-Gazetted) in Pay Matrix Level-6 from the date mentioned against his name:

इस कार्यालय के निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिक को रिव्यू डी०पी०सी० 2016 के अंतर्गत सहायक, ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :

Sl. No.	Name of Official	Office	Date of Promotion
1.	Shri Rajiv Kumar Verma, Office Supdt.	Jammu & Kashmir and Ladakh GD, Jammu	04-11-2016 as Assistant Group 'B' (Non-Gazetted)

2. उपरोक्त कार्मिक को दिनांक 04-11-2016 से काल्पनिक आधार पर (on notional basis) पदोन्नति प्रदान की जाएगी तथा उनकी नियमित आधार पर पदोन्नति उनके वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जाएगी।

3. यदि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया सम्बंधित मामला कार्यालय में लम्बित पाया गया तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं किया जाएगा।

4. पदोन्नति पर अधिकारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर.22(1)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारी को MACP योजना के अंतर्गत एफ.आर.22(1)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियमित निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाएगा।

Contd../-

5. This promotion order is according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No.36012/11/2016-Estt. (Res-I) {Pt-II} dated 15-06-2018. The selected list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.

6. पदोन्नत कार्मिक को सलंगन Undertaking कार्यालय में जमा करनी होगी जो कि कार्मिक की सेवा पंजिका में रिकॉर्ड हेतु रखी जाएगी ।

प्राधिकार: महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं.सी०पी०.1441/1952-R (PWBD) (27178) दिनांक 26-05-2025 |

सलंगन :यथोपरि|


(इनाम आमिल)

निदेशक

जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख जी डी

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र को सूचनार्थ ।
3. वैबसाइट भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सूचनार्थ ।
4. सभी अपर महासर्वेक्षक/निदेशक कार्यालयों को सूचनार्थ ।